COURT FEE 10रु. भारत दस रुपये
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(64)

**न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प कोर्ट जबलपुर(म.प्र.)**

निग -1417-I-16

राजस्व पुनरीक्षण क्र.–

1. श्रीमति सावित्री देवी कछवाहा पत्नी
   स्व. गया प्रसाद कछवाहा
2. विनय कछवाहा आत्मज गया प्रसाद कछवाहा
3. अमित कछवाहा आत्मज गया प्रसाद कछवाहा
   क्र. 1 से 3 निवासी ग्राम कटरा तह. जिला
   मण्डला (म.प्र.)
4. श्रीमति पूनम पटैल पत्नी मदन पटैल
   निवासी मदन महल स्टेशन के पास मदन महल,
   जबलपुर तहसील जिला जबलपुर (म.प्र.)
5. श्रीमति शृद्धा लाल पत्नी दिनेश लाल
   निवासी लक्ष्मी विहार कालोनी रामपुर, जबलपुर
   तहसील जिला जबलपुर (म.प्र.)
6. श्रीमति प्रतिमा कुशवाहा पत्नी राजकुमार कुशवाहा
   निवासी टेगौर गार्डन के पास, सदर जबलपुर
   तहसील जिला जबलपुर (म.प्र.)

**पुनरीक्षणकर्तागण**

**विरूद्ध**

1. श्रीमति सुनीता कछवाहा पत्नी स्व. विजय
   कुमार कछवाहा
2. कु. गोपी उर्फ अराध्या कछवाहा आत्मज
   स्व. विजय कुमार कछवाहा आयु लगभग11वर्ष
   नाबालिग बली संरक्षक मां श्रीमति सुनीता
   कछवाहा क्रमांक 1 एवं 2 निवासी–वार्ड नं. 6,
   बरघाट तहसील बरघाट जिला सिवनी (म.प्र.) –

**उत्तरवादीगण**

## राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

**पुनरीक्षणाधीन आदेश :–**

श्री प्रवीण फुलपगारे अनुविभागीय अधिकारी मण्डला ने राजस्व अपील क्रमांक 29(अ–6)14–15 सुनीता कछवाहा वगैरह विरूद्ध सावित्री देवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 30.03.16 जिसमें उत्तरवादीगण की अपील की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति निरस्त की गई है, के विरूद्ध।

**प्रकरण के तथ्य :–**

यह कि, उत्तरवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम कटरा पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील व जिला मण्डला में स्थित भूमि ख.नं. 105/1, 105/2/2क, 140/1 एवं 105/6 क्रमशः रकवा 0.085 हेक्टे., 0.975 हेक्टे., 0.040 हेक्टे.,जिसका कि पूर्व में मालिक गया प्रसाद कछवाहा था तथा उसी का नाम इन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था, कि मृत्यु दिनांक 25.11.14 को हो जाने के कारण हल्का पटवारी द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 14 में पारित आदेश दिनांक 10.01.15 के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता का नाम दर्ज किया गया है तथा अपीलार्थीगण गया प्रसाद के मृत पुत्र विजय कुमार कछवाहा की पत्नी/पुत्री है तथा उनका नाम दर्ज नहीं किया, जिससे क्षुब्ध होकर उत्तरवादीगण ने अपील की है।

पुनरीक्षणकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.16 को अपील की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति यह कहकर, कि अपीलार्थीगण विवादित प्रकरण/आदेश में पक्षकार नहीं थे। अतः उन्हें अपील पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और ना ही उत्तरवादीगण ने अपील पेश करने की कोई अनुमति ली है तथा अपीलार्थी क्रमांक 1 ने दिनांक 22.06.6 को गया प्रसाद कछवाहा के जीवनकाल में इकरारनामा लिखा था तथा पने विवाह के समय प्राप्त सामानों को लिस्ट के अनुसार प्राप्त कर ली । तथा उसमें यह इकरार की है, कि भविष्य में सम्पत्ति में कोई हक दावा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–1417–एक/2016 जिला मण्डला

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता |
|---|---|---|
| 17/12/18 | प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला के प्रकरण कमांक 29 अ–6/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–3–16 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।<br>2/ प्रकरण की प्रचलनशीलता पर विचार करने पर स्थिति यह है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य नहीं रही है। तदनुसार निगरानी कलेक्टर मण्डला की ओर निराकरण हेतु अंतरित की जाती है। आवेदक कलेक्टर मण्डला के न्यायालय में दिनांक 29–1–19 को उपस्थित होकर निगरानी के सम्बन्धन में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।<br>C.F. 29-1-19<br>सदस्य | |